



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/आर0कैम्प(सा0प्र0)/मेमो/2020

दिनांक: 06 सितम्बर, 2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त अनुदानित, राजकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

विषय:-शैक्षिक सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड अपडेट कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या:- 107/2020/2122/26-3-2020-4(358)/07 टी0सी0 दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के क्रम में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखनऊ के पत्र संख्या:- 801/पि0व0क0/2020-21 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 के अनुपालन में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या 46/स0क0/छात्रवृत्ति/2020-21 दिनांक 04 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कराये जाने हेतु विस्तृत संशोधित समय सारणी निर्गत की गई है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में संशोधित समय सारणी की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति से

सम्बन्धित संशोधित समय सारणी (कुल 04 पृष्ठ)

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति महोदय,
2. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण।
3. उप कुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लॉग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. विश्वविद्यालय सूचना पट्ट हेतु।

कुलसचिव

संख्या-107/2020/2122/26-3-2020-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर 2020

समाज कल्याण अनुभाग-3

विषय

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

03/09/2020
निदेशक
विद्यार्थी कल्याण विभाग
उ०प्र०, लखनऊ

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1235/स०क०/ शिक्षा-अ/07/28/2020-21, दिनांक-21.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/07 टी०सी०-III दिनांक 15-06-2020 निर्गत समय-सारिणी में भी निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)
1	2	3	4
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक	30 सितम्बर 2020 तक
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाएँ योजनाधिकारी (साहय प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग)	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक	30 सितम्बर 2020 तक

	नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट-राज्य से बाहर की नवीन संस्थाओं पासवर्ड के लिये 30 सितम्बर 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)		
1	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थाओं) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 (नोट-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)	20 अक्टूबर 2020 तक (नोट-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक	01 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला विच्छेदा यर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति -समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु			
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक	01 अगस्त से 05 सितम्बर 2020 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कर्मांक तथा आवेदन का कर्मांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेवशन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकी सहित	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर - विलम्बतम	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर - विलम्बतम

	शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01 सितम्बर 2020 तक	सितम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट:-02 अगस्त से 11 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	01 सितम्बर 2020 तक 02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक	02 अगस्त से 11 सितम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक	11 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक	21 सितम्बर 2020 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक	12 सितम्बर से 19 सितम्बर 2020 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct) छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक	20 सितम्बर 2020 से 29 सितम्बर 2020 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से भौग सुजित कराना।	30 सितम्बर 2020 तक	30 सितम्बर 2020 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2020 तक	01 अक्टूबर 2020 तक
14	प्रत्येक जनपद में 8 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण करना।	02 अक्टूबर 2020 को	02 अक्टूबर 2020 को

नोट-

- 1- पूर्व समय-सारिणी के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 15 जून, 2020 के अन्य प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
- 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 3- छात्र/छात्रा के आधार प्रमाणीकरण एवं आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीडीपीडी को अंकित करने पर ही आवेदन टेम्पलेट लॉक किया जा सकेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विलम्बतम 10 सितम्बर, 2020 तक अपलोड करेंगे जिससे कि 02 अक्टूबर, 2020 तक नवीनीकरण के पत्र छात्र/छात्राओं का भुगतान किया जाना सम्भव हो सके।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पु0सं0- 1९7 / 2020 / 2122 (1) / 26-3-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।